न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 07/2022

1. प्रभूनाथ
2. प्यारेलाल
3. ईश्वरनाथ
4. रामचरणर
पि. भोंरयानाथ समस्त जाति जोगी निवासी रानापाडा तहसील बसवा वर्तमान तहसील बैजूपाडा जिला दौसा

..अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती केशा बेवा रामसिंह
2. जगदीश पुत्र शिवलाल
3. प्रहलाद पुत्र शिवलाल
4. मगन पुत्र शिवलाल
समस्त जाति जोगी निवासी रानापाडा तहसील बसवा हाल तहसील बैजूपाडा जिला दौसा
5. गुडडी पुत्री शिवलाल पत्नि कमलेश जाति जोगी निवासी पीलवा उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा
6. संतराबाई पुत्री रामसिंह पत्नि चेतराम जाति जोगी निवासी करणपुर तहसील महवा जिला दौसा
7. हीरा देवी पुत्री शिवलाल पत्नि बेवा कल्याण जाति जोगी निवासी गगवाना तहसील बैजूपाडा जिला दौसा
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील बैजूपाडा जिला दौसा

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 409 दिनांक 08.12.2021 विरासत नाथी द्वारा तस्दीक तहसीलदार तहसील बैजूपाडा जिला दौसा

उपस्थित–1. श्री पदम सिंह, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से
2. श्री सत्यनायण शर्मा, अधिवक्ता रेस्पों. सं. 01 व 07 की ओर से।
3 श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता,

निर्णय दिनांक: 04.12.2024

1. संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, बैजूपाडा ने दिनांक 8.12.2021 को ग्राम रानापाडा का नामान्तरण सं0 409 विरासत का तस्दीक कर दिया गया। इसी नामान्तरण आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रानापाडा में आराजी खसरा नंबर 130 रकबा 0.91 है0, खसरा नंबर 131 रकबा 0.44 है0, खसरा नंबर 132 रकबा 0.01 है0 गैरमु0 आबादी, खसरा नंबर 133 रकबा 0.45 है0. खसरा नंबर 134 रकबा 0.07 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.88 है0 स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी नत्थीदेवी पत्नि शिवलाल जाति जोगी हिस्सा 1/2 दर्ज था। तथा वर्तमान में रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगायत 7 के नाम खातेदारी दर्ज है। नत्थीदेवी पनि शिवलाल के स्वर्गवास होने पर शपथ पत्र एवं सजरा व मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा नत्थी मृतक की

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:39:05 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर,दौसा

विरासत का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगायत 7 के पक्ष में चुपचाप में ही तस्दीक किया है। उपरोक्त अराजीयात के सेटलमेन्ट संवत 2050–52 से पूर्व उक्त विवादित भूमि के खसरा नंबर 110 सात बीघा 9 बिस्वा थे तथा संवत 2016 से पूर्व एवं बजमाने जागीर उक्त भूमि के खसरा नंबर 315 तथा 316 सात बीघा 9 बिस्वा थे। उक्त भूमि बजमाने जागीरदारी उक्त भूमि वादग्रस्त मंदिर माफी ठाकुरजी श्री दाउजी महाराज वाके देह मानपुर के नाम जागीरी रही थी। उक्त मंदिर के पुजारी बैकुण्ठप्रसाद, अनिल कुमार, सुरेन्द्र कुमार व लाडा देवी बेवा रामजीलाल ने उक्त मंदिर ठाकुरजी दाउजी महाराज की खातेदारी अपने नाम दर्ज करा ली तथा पुजारी रामजीलाल के वारिसान द्वारा माफी मंदिर दाउजी महाराज की खातेदारी की भूमि के हिस्से 1/2 का बेचान मृतक नत्थी पत्नि शिवलाल के नाम से कर दिया जबकि खातेदारान रामजीलाल व उसके वारिसान जो कि उक्त मंदिर के पुजारी थे उनको अपने नाम भूमि कराने व भूमि को नत्थी देवी को विक्रय करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था क्योंकि माफी मंदिर की भूमि का न तो बेचान किया जा सकता है इसलिए नत्थी देवी के पक्ष में किया गया बेचान कतई अवैधानिक व विधि विरूद्व है। इस संबंध में अपीलान्ट्स द्वारा एक वाद उप जिला कलेक्टर बांदीकुई के न्यायालय में उनवानी प्रभूनाथ बनाम बैकुण्ठप्रसाद आदि दावा इश्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 12.03.2007 को प्रस्तुत किया गया था जिसका निर्णय उप जिला कलेक्टर बांदीकुई द्वारा दिनांक 16.06.2015 को राजस्व लोक अदालत में किया गया तथा विवादित भूमि को मंदिर दाउजी महाराज की भूमि मानते हुए सुनवाई का अधिकार न मानते हुए खारिज कर दिया तथा निर्णय में यह भी निर्देश दिया कि तहसीलदार बसवा माफी मंदिर की भूमि होने के कारण सक्षम न्यायालय में रैफरेन्स प्रस्तुत करे। तहरीर जारी हो, इस पर उप जिला कलेक्टर बांदीकुई के आदेश दिनांक 16.06.2015 की पालना में तहसीलदार बसवा द्वारा उपरोक्त भूमि के संबंध में रैफरेन्स न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है। इन तमाम तथ्यों के बावजूद भी तहसीलदार बैजूपाडा ने रेस्पोडेन्ट नंबर 1 लगायत 7 से मिलीभगत कर व पटवारी हल्का से साज करके नामान्तरण विरासत नत्थी देवी मृतक के वारिसान के पक्ष में दिनांक 08.12.2021 को अवैध रूप से तस्दीक करा लिया व खातेदारी दर्ज करा ली जबकि उक्त भूमि के संबंध में तहसीलदार बसवा द्वारा रैफरेन्स न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत कर रखा है और विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार बैजूपाडा को नत्थी देवी की विरासत का नामान्तकरण तस्दीक करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त अवैध नामान्तकरण की अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी दिनांक 07.02.2022 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई तो अपीलान्ट ने उक्त नामान्तरण की नकल हेतु दिनांक 08.02.2022 को नकल का प्रार्थना पत्र तहसील बैजूपाडा में पेश किया जिसकी नकल दिनांक 08.02.2022 को प्राप्त हुई। अधीनस्थ तहसीलदार विरासत का नामान्तररण संख्या 409 व आदेश तहसीलदार दिनांक 08.12.2021 खिलाफ कानून उप नियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। उपरोक्त विवादित अराजीयात के संबंध में अपीलान्ट द्वारा विवादग्रस्त संपत्ति के संबंध में प्रकरण पेश किया था जिसमें उप जिला कलेक्टर बांदीकुई द्वारा विवादित भूमि को माफी मंदिर दाउजी महाराज की मानते हुए दिनांक 16.06.2015 के निर्णय की पालना में स्वयं तहसीलदार बसवा द्वारा एक रैफरेन्स प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया था जो विचाराधीन है जिसकी [illegible] पटवारी हल्का व तहसीलदार बैजूपाडा को होने के बावजूद भी रेस्पोन्डेन्ट नंबर 1 लगायत 7 के पक्ष में तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा अवैध व मिलीभगत कर नत्थी [illegible] नामान्तरण तस्दीक किया है जो प्रारंभिक रूप से निरस्तनीय है। क्योंकि उक्त नामान्तरण कतई अवैधानिक है क्योंकि उक्त भूमि मंदिर माफी दाउजी महाराज की खातेदारी की भूमि है तथा माफी मंदिर की भूमि को उसके पुजारियों को विक्रय नत्थी देवी को करने का कोई अधिकार ही नहीं था क्योंकि माफी मंदिर की भूमि न तो रहन की जा सकती है और न विक्रय की जा सकती है। इसलिए विक्रय पत्र नत्थी देवी ही

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:39:05 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

विधि विरूद्व है तथा अवैधानिक विक्रय पत्र से न तो नत्थी देवी को कोई अधिकार प्राप्त होता है और न ही उनके वारिसान को कोई अधिकार प्राप्त होता है। जब सक्षम न्यायालय में विवादित भूमि माफी मंदिर की मानते हुए रैफरेन्स विचाराधीन है तो तहसीलदार बैजूपाडा को विवादित भूमि के संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने या विरासत का नामान्तकरण तस्दीक करने का कोई अधिकार ही नहीं था परन्तु तहसीलदार ने अवैध तरीके से सारे तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद भी मिलीभगत कर नामान्तकरण विरासत तस्दीक किया है जो प्रारंभिक स्तर पर ही नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि माफी मंदिर दाउजी महाराज की खातेदारी की भूमि है इसलिए उक्त मंदिर के पुजारी रामजीलाल के वारिसान को विवादित भूमि के किसी भी हिस्से या भूभाग को विक्रय करने का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं था यदि ऐसा कोई विक्रय पत्र किया भी है तो वह कानूनन शून्य है। किसी भी नामान्तरण को तस्दीक करने का सर्वप्रथम अधिकार ग्राम पंचायत को है तथा ग्राम पंचायत यदि 45 दिवस में कोई नामान्तरण की कार्यवाही न करे तो ही तहसीलदार को नामान्तरण तस्दीक करने का अधिकार है इसलिए तथाकथित नामान्तरण कानून व विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। नामान्तरण की कार्यवाही न तो मजमे आम में हुई और ना ही अपीलान्ट को नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व कोई सुनवाई का मौका ही दिया जबकि अपीलान्ट्स के वाद के निर्णय के आधार पर ही उप जिला कलेक्टर द्वारा तहसीलदार बसवा को रैफरेन्स प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिये थे तथा जिसकी पालना में तहसीलदार बसवा द्वारा रैफरेन्स प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया है जो विचाराधीन है। इसलिए तहसीलदार को नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देना चाहिए था इसलिए उक्त नामान्तरण प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे न ही उन्हें कोई तहसीलदार द्वारा सुनवाई का मौका दिया जबकि उप जिला कलेक्टर बांदीकुई द्वारा अपने निर्णय में विवादित भूमि माफी मंदिर दाउजी महाराज की मानते हुए तहसीलदार बसवा को रैफरेन्स पेश करने हेतु निर्देश दिये थे जिसकी पालना में तहसीलदार बसवा द्वारा रैफरेन्स न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है तथा अपीलान्ट के हक हकूक व मंदिर की भूमि की रक्षार्थ अपील पेश करने के अधिकारी है तथा प्रभावित पक्षकार है इसलिए अपील न्यायालय की अनुमति से प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 409 दिनांक 08.12.2021 विरासत तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा तस्दीक किया है, को निरस्त फरमाया जावे।

4. अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 से 7 ने बहस में कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम रानापाडा तहसील बैजूपाडा में स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी नत्थीदेवी पत्नि शिवलाल योगी हि. 1/2 दर्ज रिकार्ड था। उक्त भूमि सुरेन्द्र व लाडा बेवा रामजीलाल के नाम खातेदारी दर्ज थी। जिसमें रामजीलाल के वारिसों ने खातेदारी के आधार पर नत्थी देवी के नाम बेचान कर दिया जो रजिस्टर्ड बेचान था। भूमि की खातेदारी होने के कारण नत्थी को विक्रय का अधिकार था। तत्पश्चात वर्तमान में विवादग्रस्त भूमि में रेस्पों. सं0 1 से 7 खातेदार खुदकाश्त मालिक है व मौके पर कब्जा है। तहसीलदार बैजूपाडा ने नत्थी देवी के नाम नामान्तरण तस्दीक किया गया था जो विधिवत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि की मालिक थी। रेस्पों. सं0 1 से 7 उक्त भूमि के मालिक है व जरिये विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि के स्वामी है। अपीलांट [illegible] किसी प्रकार का कोई अधिकार आधिपत्य, कब्जा या मालिकाना हक नहीं है। न ही कोई लोकसस्टैण्डाई। अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। [illegible]पीलांट का विवादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। अपीलांट द्वारा नामान्तरण सं0 409 दिनांक 8.12.2021 की जो अपील प्रस्तुत की गई है वह विधि व कानून के विपरीत है। एक ही प्रकरण में दो मामले नहीं चल सकते है जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:39:05 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

तहसीलदार बसवा द्वारा जिला कलक्टर न्यायालय में रैफरेन्स प्रस्तुंत किया है जिसके निर्णय में ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। नामान्तरण अपील पेश करने का अपीलांट को कोई अधिकार नहीं है। रेस्पों0 ने भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की है। कानूनन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाने हेतु कोई वाद अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। रजिस्टर्ड दस्तावेज जब तक निरस्त नहीं हो जाता है तब तक वैध दस्तावेज ही रहेगा। तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा जो नामान्तरण खोला गया है वह विधि व कानून की पालना करते हुए मजमे आम में खोला गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है। अपीलांट को उक्त नामान्तरण की पूर्ण जानकारी थी व नामान्तरण तस्दीक करते समय वहाँ उपस्थित थे। दफा 96 के प्रार्थना पत्र जो अपीलांट की ओर से प्रस्तुत किया गया है वह गलत है। विवादग्रस्त भूमि में अपीलांट का कोई अधिकार, कब्जा व आधिपत्य व मालिकाना हक नहीं है। इसलिए दफा 96 सी.पी.सी. का कोई प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं रखते है। अपीलांट को नामान्तरण अपील पेश करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। अपीलांट ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का सिविल न्यायालय में कोई वाद भी प्रस्तुत नहीं कर रखा है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा खोला गया नामान्तरण पूर्णतया विधि सम्मत है जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।
6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।
7. इस प्रकरण में अपीलांट द्वारा यह मुख्य बिन्दु उठाये गये है कि चूंकि तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा उक्त भूमि के संबंध में रैफरेन्स कर रखा है एवं उपखंड अधिकारी बांदीकुई द्वारा अपने आदेश में निश्चित किया गया है कि भूमि मंदिर माफी की है अतः नामान्तरण सं0 409 व आदेश तहसीलदार दिनांक 8.12.2021 कानून खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है।
8. इस संबंध में हमने सर्वप्रथम न्यायालय उपखंड अधिकारी बांदीकुई का आदेश दिनांक 16.6.2015 का अवलोकन किया जिसमें उपखंड अधिकारी बांदीकुई द्वारा जो कि इस प्रकार है:–

   " पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैंप पूंदरपाडा पर हुई। वादीगण उपस्थित आये। वादीगण को सुना। वादी ने विवादित आराजी मंदिर दाउजी की भूमि होना बताया। राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। गत राजस्व रिकार्ड में वाद में वर्णित भूमि ठाकुरजी दाउजी मंदिर के नाम दर्ज है। वर्तमान रिकार्ड में यदि किसी भी तरह से पक्षकार के नाम दर्ज हैं तो वह प्रभावहीन है जिसका रैफरेन्स किया जावे। विवादित आराजी दाउजी मंदिर की भूमि होने से सुनवाई क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। तहसीलदार बसवा नियमानुसार सक्षम न्यायालय में रैफरेन्स प्रस्तुत करे। तहरीर जारी हो। वादीगण वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस्तकरार हक तकास्मा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।"

   अतः उक्त निर्णय में उपखंड अधिकारी बांदीकुई द्वारा यह निश्चित किया गया था कि उक्त भूमि को माफी मंदिर दर्ज करने का उनके पास अधिकार नहीं है एवं यह रैफरेन्स के माध्यम से की जा सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:39:05 IST
Reason: SelfAttested

9. इसके उपरांत तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा ... को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत एक रैफरेन्स न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। इस संबंध में यह भी आवश्यक है कि रैफरेन्स पर निर्णय लेने का अधिकार धारा 82 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स के जिला कलक्टर के अभिमत के आधार पर न्यायालय राजस्व मंडल द्वारा रैफरेन्स स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है।

Devendra
जिला कलेक्टर,दौसा

Web Copy - Not Official

एवं जब तक माननीय राजस्व मंडल का निर्णय नहीं हो जाता तब तक वर्तमान जमाबंदी में अंकित प्रविष्टियों को गलत मानने का कोई आधार नहीं है। हालांकि तहसीलदार द्वारा रैफरेन्स प्रस्तुत कर उक्त भूमि को मंदिर माफी किये जाने हेतु आग्रह किया है किन्तु जैसाकि उपर चर्चा की गई है यह निर्णय माननीय राजस्व मंडल का है। अतः तहसीलदार अपने स्तर से उक्त भूमि को मंदिर माफी दर्ज नहीं कर सकता है और ना ही उक्त भूमि को माफी मंदिर मानते हुए उस पर समस्त कार्यवाही जैसेकि विरासत नामान्तरण पर रोक लगा सकता है। साथ ही यह निर्णय एवं आदेश ना ही न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा दिये जा सकते है। केवल मात्र रैफरेन्स प्रस्तुत करने से जमाबंदी में अंकित वर्तमान खातेदारों के अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है, जब तक उस रैफरेन्स पर सक्षम न्यायालय द्वारा कोई अन्तरिम या स्थाई आदेश पारित नही कर दिया जाता है। अतः अपीलांट द्वारा चाहा जा रहा अनुतोष जिनको उनके द्वारा नामान्तरण सं0 409 एवं आदेश तहसीलदार दिनांक 8.12.2021 को निरस्त करना न्यायोचित नहीं समझते है। हालांकि उक्त नामान्तरण एवं जमाबंदी में विवादित खसरे के खातेदारी अधिकार किसके पास रहेंगे यह सक्षम न्यायालय द्वारा रैफरेन्स में दिये गये अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगे।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 04 दिसंबर, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.01.08 12:39:05 IST
Reason: SelfAttested